पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/9/23 को पेश हो।

8/9/23 पत्रा० आज पेश हुई, वकुलाय उपस्थित, प्रार्थी वकील ने प्रा०पत्र 212 RTA में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने बाबत बहस हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी सं० 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रा० पत्र पर बहस करने पर सहमति जताई उसके उपरान्त उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस प्रा० पत्र 212 RTA अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने बाबत बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने दौरान बहस तर्क है कि प्रा० पत्र की मद सं० 2 की आराजी खाता सं. 137 के खसरा नं० 2431/191, 2433/347, 2435/58, 2437/698, 2439/708, 2441/737 व 567, 568, 826 व खाता सं. 139 के खसरा नं० 1621, 140, 184, 185 वाके ग्राम करली तहसील नदबई पर स्थित है

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | जो कि प्रार्थीगण की पैतृक आराजी है। आराजी पैतृक होने के कारण प्रार्थीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण मुताबिक हिस्सा काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं प्रार्थीगण को प्रार्थीगण की आराजी से महरूम कर देगें जब अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और प्रार्थी को अजीम क्षति होगी। अतः दावे के निस्तारण तक स्थगन आदेश को कन्फर्म किया जावे कि आराजी कि मदाखलत, मजाहमत न करे रहन बय मुन्तकिल न करे व राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे।<br><br>अप्रार्थी अधिवक्ता ने दौरान बहस तर्क किया कि उपरोक्त आराजीयात में हाल रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार हूँ कानूनन खातेदार काश्तकार को किसी भी स्थिति में स्थगन आदेश से पाबन्द नहीं किया जा सकता है, तथा मुझ अप्रार्थी को टीनेन्सी अधिकारो का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता है, एवं प्राइमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय। अजीमक्षति मुझ प्रार्थी के हक मे प्रतीत हो रही है इसलिए प्रा० पत्र 212 [illegible] मे स्थगन आदेश नहीं फरमाया जावे।<br>हमने दोनो विद्वान अधिवक्ताओ | |

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | एवं बहस पर मनन की बहस को सुना एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया एवं उपलब्ध रिकॉर्ड प्रा० पत्र को किया तो पाया गया कि प्रा० पत्र की मद स. 2 मे वर्णित विवादित आराजी वाके ग्राम करही पर स्थित है। उक्त विवादित आराजी वाके ग्राम करही पर स्थित है। उक्त विवादित आराजी अप्रार्थीगण स. 1 धर्मदेव पुत्र कमलसिंह जाति - जाट नि० करही के नाम से राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है तथा इससे पूर्व जमाबन्दी संवत 2069-72 पर अप्रार्थीगण स. 1 के पिता कमल सिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही थी। कमल सिंह की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी विरासतन के रूप मे हिस्सा 7/4 से अप्रार्थी स. 1 धर्मदेव व मूलदेव के नाम आई। परन्तु उक्त आराजी कच्ची खातदारी होने के कारण आराजी अप्रार्थी स. 1 के नाम रिकॉर्ड दर्ज चली आ रही है इस प्रकार उक्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक आराजी है पैतृक आराजी होने के कारण प्रार्थीगण का उक्त आराजी मे जन्म से ही अपना हक व हिस्सा निहित है अतः अप्रार्थीगण मूलवाद के निस्तारण तक आराजी की प्रार्थी के हिस्से तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने हेतु पाबंद किया जाना उचित है एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक मे साबित है। उक्त आराजी पैतृक है तथा आराजी |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अप्रार्थी गण क्र. 1 3 नाम दर्ज रिकॉर्ड है अगर स्थगन से पाबन्द नही किया जाता है तो आराजी को खुर्द बुर्द होने की पूर्ण संभावना है। | |
| | अतः प्रा० पत्र 212 RTA को तीनो बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश है कि विवादित खाता० सं० 137 के खसरान 2431/191, 2433/341, 2435/58, 2437/698, 2439/708, 2441/737 567, 568, 60, 826, व खाता सं. 139 के खसरा नम्बरान् 1621 व खाता सं. 140 के ख-न- 184, 185 वाके ग्राम करबी तहसील नदबई पर स्थित है कि आराजी को अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वाद पत्र अन्तिम निस्तारण तक प्रार्थी के हिस्से तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। | |
| | निर्णय आज दिनॉक 8/9/23 को लिखाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रा० फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो | |
| | सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक नदबई (भरतपुर) राज | |